



FEDERATION OF ALL INDIA VYAPAR MANDAL
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल

राष्ट्र के विभिन्न व्यापार मंडल एवं ट्रेड एसोसिएशन का राष्ट्रीय परिसंघ

Presentation

on

Single Point GST (एकल बिंदु जीएसटी)



Presentation on Single Point GST

वर्तमान GST व्यवस्था

वर्तमान जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत जब जब भी सामान बेचा जाएगा तब तब प्रत्येक क्रेता से जीएसटी वसूला जाएगा और इनपुट क्रेडिट लेने के पश्चात जीएसटी सरकार के राजस्व में जमा करना होगा ।



Presentation on Single Point GST

वर्तमान जीएसटी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष

फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक, सामान कम से कम पांच कारोबारियों के हाथ से निकल कर जाता है

फैक्ट्री -- राज्य का C&F -- जिले का डिस्ट्रीब्यूटर -- क्षेत्र का थोक व्यापारी --- स्थानीय खुदरा व्यापारी -- उपभोक्ता

उपरोक्त में एक दो कड़ी जुड़ तो सकती है , कम होने की सम्भावना कम है



Presentation on Single Point GST

वर्तमान जीएसटी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष

फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक की कड़ी में किसी भी एक पक्ष ने अपने हिस्से का जीएसटी या जीएसटी की विवरणी नहीं भरी तो पीछे वाले विक्रेता व्यापारी को जीएसटी के बराबर की आर्थिक हानि होगी एवं दंड भी भरना पड़ सकता है।



Presentation on Single Point GST

वर्तमान जीएसटी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष

व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, शहर का हो या गांव का हो, प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यापारी को जीएसटी का अनुपालन करना पड़ता है।



Presentation on Single Point GST

दुकानदारों के समक्ष चुनौतियां

- अक्सर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते दुकानदार कर चोरी का प्रयास करता है और उसका फायदा ग्राहक को दे देता है
- यदि कोई दुकानदार GST का पूर्ण अनुपालन करता है, पर उसका विक्रेता दुकानदार अपना GST विवरणी नहीं भरता, तो क्रेता दुकानदार को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है।



Presentation on Single Point GST

दुकानदारों के समक्ष चुनौतियां

- दुकानदार ज्यादा पढे लिखे न होने कि कारण कर अनुपालन में पिछडा होता है
- कर अनुपालन में दुकानदार अक्सर CA, वकील या पार्ट टाइम अकाउंटेंट पर निर्भर है
- GST के अनुपालन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खाते एवं स्टॉक रजिस्टर uptodate होने चाहिय जो व्यापारी समय पर नहीं कर पाता ।



Presentation on Single Point GST

वर्तमान GST व्यवस्था में सरकार के समक्ष चुनौतियां

- पूर्व में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 84 % GST विवरणी का इनपुट और आउटपुट का मिलान नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि कर दाताओं द्वारा या तो गलती से या जान बुझ कर गलत GST विवरणी दाखिल की जा रही है। ऐसी अवस्था में कर चोरी से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
- GST में 1.24 करोड़ से भी ज्यादा करदाता पंजीकृत, पर GST विवरणी बहुत कम करदाताओं द्वारा ही भरी जा रही है।



Presentation on Single Point GST

वर्तमान GST व्यवस्था में सरकार के समक्ष चुनौतियां

- भारत की GST प्रणाली दुनिया के 115 देश जहां GST या इसके सामान कर प्रणाली है , सबसे ज्यादा पेचीदा और अधिक कर वाली है
- श्री बिबेक देबरॉय , प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष के अनुसार GST को पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने में 10 साल लगेंगे
- 95 प्रतिशत दूकानदार या तो कम्पोजीशन स्कीम में है या त्रिमासिक GST विवरणी के अंतर्गत । बावजूद इसके कि GST पंजीकरण में 50 % की वृद्धि होने पर भी सरकार को GST में सिर्फ 80 से 85 प्रतिशत तक ही कर वसूल हो पा रहा है



Presentation on Single Point GST

वर्तमान GST व्यवस्था में सरकार के समक्ष चुनौतियां

National Institute of Public Finance and Policy, के एक अनुमान के अनुसार भारत में GST का औसत मासिक संग्रहण 1,09,616 होना चाहिये, जिसे बाद में सरकार ने बढ़ा कर 1,13,000 करोड़ कर दिया।

वास्तविक रूप से GST के 37 माह का औसत संग्रह रूपए 92,238 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का औसत संग्रह रूपए 99,979 करोड़ रहा। अतः औसत मासिक टैक्स संग्रह अपने अनुमान से सिर्फ 85% ही हो पा रहा है।



Presentation on Single Point GST

वर्तमान GST व्यवस्था में सरकार के समक्ष चुनौतियां

37 माह में सिर्फ 11 माह GST का संग्रह 1 लाख करोड़ से ऊपर गया। और सिर्फ दो बार 1,10 लाख करोड़ से ऊपर गया। अतः 1,13,000 करोड़ मासिक संग्रह का जादुई आंकड़ा अभी बहुत दूर है।



Presentation on Single Point GST

वर्तमान GST व्यवस्था में सरकार के समक्ष चुनौतियां

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटी चोरी / धोखाधड़ी की रिपोर्ट लगभग 80,000 करोड़ है , जीएसटी की चोरीधोखाधड़ी इसलिए हो पा रही है क्योंकि जीएसटी संग्रह के स्रोत (कम से कम पांच) बहुत ज्यादा है और पूरी कड़ी में किसी एक कड़ी का कमजोर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।



Presentation on Single Point GST

अशर्फी की लूट में कोयला पर मोहर

- गैर सेवा क्षेत्र के करदाताओं में निर्माता वर्ग की संख्या लगभग 10 से 15 प्रतिशत है और शेष संख्या दुकानदारों की है। किसी भी वस्तु में अंतिम निर्माता और उपभोक्ता के मध्यान सिर्फ 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत का औसत मूल्य संवर्धन (value addition) होता है और इस मूल्य संवर्धन पर दुकानदार वर्ग GST भरता है।



Presentation on Single Point GST

अशर्फी की लूट में कोयला पर मोहर

- अर्थात यदि निर्माता से ले कर उपभोगता तक एक वस्तु 3-4 दुकानदारों (जैसे C &F, वितरत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी इत्यादि) के माध्यम से पहुंचती है तो प्रत्येक दुकानदार के हिस्से में लगभग 5-7 प्रतिशत के मूल्य सवर्धन/value addition पर tax liability / कर देयता बनती है । अतः 85-90 प्रतिशत करदाताओं (दुकानदार) की हिस्से में सिर्फ 20-25 प्रतिशत GST की कर देयता आती है । जिसके लिए वर्तमान जटिलता पूर्ण न्याय संगत नहीं है ।



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST का परिकल्पना

सम्पूर्ण GST की वसूली अंतिम निर्माता से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर कर ली जाए और थोक एवं खुदरा व्यापारियों व जॉब वर्कर को GST की प्रक्रियाओं से मुक्त कर दिया जाए ।



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST की परिकल्पना

- सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं को बेचे गए मूल्य पर GST वसूल करना है।
- यदि GST सिर्फ निर्माता पर लगाया जाए और वह भी खुदरा मूल्य (MRP) पर, सरकार का लक्ष्य निर्माता स्तर पर ही पूरा हो जाएगा।
- जब सरकार MRP पर निर्माता से ही GST वसूल कर चुकेगी तो सामान बेचने वाले दुकानदार GST की कर देयता और अनुपालन से मुक्त हो जाएंगे।



Presentation on Single Point GST

वर्तमान GST संग्रहण की व्यवस्था

Assume MRP	:100
Assume GST Rate	:10%
Assume addition by Traders	:25%

	BP/Pur	Profit		Inv Value	Out put GST	Invoice price	Input GST	Net GST Payable
		%	Amount					
Last Manufacturer	71.50	0%	0.00	71.50	7.15	78.65	0	7.15
C& F	71.50	5%	3.58	75.08	7.51	82.58	7.15	0.36
Distributor	75.08	5%	3.75	78.83	7.88	86.71	7.51	0.38
Whole seller	78.83	5%	3.94	82.77	8.28	91.05	7.88	0.39
Retailer	82.77	10%	8.28	91.05	9.10	100.15	8.28	0.83
Final Price to consumer/MRP	100.15				39.92		30.82	9.10



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST के अंतर्गत संग्रहण की व्यवस्था

Assume MRP :100

Assume GST Rate :10%

Assume addition by Traders :25%

Last Manufacturer	71.50	0%	0.00	71.50	9.10	80.60	0	9.10
C& F	71.50	5%	3.58	75.08	0.00	84.18	0.00	0.00
Distributor	75.08	5%	3.75	78.83	0.00	87.93	0.00	0.00
Whole seller	78.83	5%	3.94	82.77	0.00	91.87	0.00	0.00
Retailer	82.77	10%	8.28	91.05	0.00	100.15	0.00	0.00
Final Price to consumer/ MRP	100.15				9.10		0.00	9.10



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST के अंतर्गत संग्रहण की व्यवस्था

- सरकार को सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत कर दाताओ पर नजर रखनी होगी और सरकार का कर वसूली का लक्ष्य निर्माता स्तर पर पूरा हो जाएगा ।
- सरकार के GSTN की क्षमता खूब बा खुद बढ़ जाएगी ।
- चूंकि खुदरा मूल्य / MRP पर टैक्स निर्माता स्तर पर ही वसूला जा चूका है, कोई भी दुकानदार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पायेगा ।



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST के अंतर्गत संग्रहण की व्यवस्था

- यदि एक दुकानदार का 10 प्रतिशत समय ,जो अभी कर अनुपालन में लगता है , बच जाएगा तो वह अपना कारोबार बढ़ा पाएगा और युवाओं को ज्यादा रोजगार की अवसर प्राप्त हो सकेंगे । अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी ।
- अक्सर निर्माता वास्तविक खुदरा मूल्य को बढ़ा चढ़ा कर अंकित करते हैं और फिर मोटा डिस्काउंट देकर उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं , MRP पर GST वसूल करने पर कोई भी निर्माता बढ़ा चढ़ा कर मूल्य अंकित नहीं कर पाएगा



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST के अंतर्गत सरकार को लाभ

- **कर चोरी को समाप्त करना**

वर्तमान व्यवस्था में कर चोरी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। एकल बिंदु GST के अंतर्गत कर चोरी की सम्भावना लगभग शून्य समान होगी क्योंकि कर दाता की संख्या कम होगी और यह करदाता संगठित क्षेत्र से होगा अतः कर अनुपालन में कोई कठिनाई नहीं होगी और सरकार द्वारा करदाता पर निगरानी आसानी से की जा सकेगी।



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लाभ

- **वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण**

प्रस्तावित एकल बिंदु GST के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर GST की वसूली होनी है अतः MRP एक ऐसा बेस रेट बन जाएगा जिससे किसी भी स्तर का खुदरा व्यापारी छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा और Anti Profiteering जैसे प्रावधानों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।



Presentation on Single Point GST

एकल बिंदु GST के अंतर्गत सरकार के concern

- केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बटवारा
एकल GST व्यवस्था की अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों की बीच कर का बटवारा कौंसिल द्वारा वर्तमान व्यवस्था से निकले फार्मला, नीति आयोग द्वारा राज्यों की आवश्यकता एवं वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मला के आधार पर किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया व्यापार मंडल को भी इस दिशा में अपने सुझाव देने में प्रसन्नता होगी।



Presentation on Single Point GST

फैम द्वारा एकल बिंदु जीएसटी लागू करने की दिशा में किया गया प्रयास

अपने गठन से लेकर ही FAIVM जीएसटी के सरलीकरण एवं सुधारीकरण में राष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रखरता से अपना दायित्व निभा रहा है।

फैम द्वारा देश के विभिन्न नगरों में जीएसटी महामंथन के नाम से कार्यक्रम आयोजित किये गए एवं व्यापारी वर्ग को जीएसटी के लिए जागरूक किया गया



Presentation on Single Point GST

फैम द्वारा एकल बिंदु जीएसटी लागू करने की दिशा में किया गया प्रयास

12 जनवरी 2018 में मालवंबर हॉल, कंस्टीट्यूशन क्लब, नयी दिल्ली में एक आल पार्टी जीएसटी महासम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के अनेको नेताओं द्वारा सहभागिता की गयी।





Presentation on Single Point GST

फैम द्वारा एकल बिंदु जीएसटी लागू करने की दिशा में किया गया प्रयास

12 जनवरी 2018 को जीएसटी महासम्मेलन के दौरान ही उपस्थित व्यापारी नेताओं द्वारा एकल बिंदु जीएसटी का आगाज़ किया गया।

तत्पश्चात फैम द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को 20 मार्च 2018 को एकल बिंदु जीएसटी पर एक प्रेजेंटेशन भेजा गया, जिससे स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा देखा गया।



Presentation on Single Point GST

फैम द्वारा एकल बिंदु जीएसटी लागू करने की दिशा में किया गया प्रयास

माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार, उनके कार्यालय द्वारा तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री स्व श्री अरुण जेटली के साथ एक विस्तृत प्रेजेंटेशन हेतु समय दिया गया, जो उनके अस्वस्थता के चलते 16 अप्रैल 2018 को विस्तृत प्रेजेंटेशन तत्कालीन केंद्रीय वित्त सचिव श्री हसमुख अधिया जी को दिया गया।





Presentation on Single Point GST

फैम द्वारा एकल बिंदु जीएसटी लागू करने की दिशा में किया गया प्रयास

अपनी मांगे पूरी न होते देख फैम द्वारा 25 सितम्बर 2018 को जंतर मंतर पर एक विशाल धरना दिया गया जिसमें 1000 से ज्यादा व्यापारियों ने भाग लिया। फैम के आवहान पर इस धरने में राष्ट्र की प्रमुख 36 से भी ज्यादा व्यापारिक संस्थानों द्वारा भाग लिया गया।






Presentation on Single Point GST

फैम द्वारा एकल बिंदु जीएसटी लागू करने की दिशा में किया गया प्रयास

एकल बिंदु GST के मुद्दे पर एक आम सहमति बनाने हेतु FAIVM के तत्वाधान में 29 अगस्त 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें लगभग सभी राज्यों से प्रमुख व्यापारी नेताओं द्वारा भाग लिया गया और एकल बिंदु GST के पक्ष में मांग की गयी.





Presentation on Single Point GST

फैम द्वारा एकल बिंदु जीएसटी लागू करने की दिशा में किया गया प्रयास

तब से लेकर आज तक फैम लगातार एकल बिंदु GST की मांग उठा रहा है और व्यापारियों के मध्य जा कर उन्हें जागरूक भी कर रहा है जिससे व्यापारी जान सकें कि एकल बिंदु जीएसटी राष्ट्र, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए कैसे लाभप्रद है।



Presentation on Single Point GST

धन्यवाद

आपके सुझाव आमंत्रित है

 **Central Office** : 1206, Pragati Tower, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008

 9711900645  011-49270605

 info@vyaparmahamandal.com

 facebook.com/FAIVM  [@FederationOfVM](https://twitter.com/FederationOfVM)